an>

Title: Introduction of the Vexatious Litigation (Prevention) Bill, 2017.

माननीय सभापति : क्रम संख्या - 49 - डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक।

।श्र01 डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्च न्यायालयों में तथा उनके अधीनस्थ न्यायालयों में, सिविल और दांडिक मामलों में तंग करने वाली कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने या जारी रखे जाने का निवारण करने के लिए और संसक्त या उनके आनुÂषंगिक विÂषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है ः

"कि उच्च न्यायालयों में तथा उनके अधीनस्थ न्यायालयों में, सिविल और दांडिक मामलों में तंग करने वाली कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने या जारी रखे जाने का निवारण करने के लिए और संसक्त या उनके आनुÂषंगिक विÂषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

-

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

-